न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ
मिन्दोबाई वगै0 बनाम सुन्द्राबाई वगै0
प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
25.08.2021	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट वकील सायलान द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायलान ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, जमाबंदी संवत् 2070–2075 व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता सायलान की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.10.2021 तक पाबंद किया जाता है कि आ0ख0नं0 हाल 284 वाके ग्राम सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ(अलवर) में सायलान के हिस्से तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 11.10.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करे कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे ?, पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर दिनांक 11.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

11/X/21 [illegible] प0-पु0 [illegible]
[illegible] 27/12 को पेश हो। [illegible]

पत्रावली [illegible] से [illegible] हुई

17/11/21

[illegible] राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित "प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021" मे रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली राजस्व अभियान में पंचायत मुख्यालय [illegible]
पर दिनांक 15.12.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

मिन्दोबाई बनाम सुक्खाबाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
02.1.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनु०। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज ~~आव~~ दिलायी गई। सायं 5:00 बजे तक इंतजार किया गया तथा पुनः आवाज दिलायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थी अनुपस्थित। अतः प्रार्थना पत्र -212 RTA वकील व उनके प्रार्थी की अदम हाजिरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०